2

संख्या- [illegible] 1/2002/15-7-[illegible]/95

प्रेषक,

श्री राम कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नईदिल्ली ।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 01 [illegible] 2002

विषय:- [illegible] स्कूल [illegible] सेक्टर-3 गोमतीनगर लखनऊ को सी0बी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि [illegible] स्कूल [illegible] सेक्टर-3 गोमतीनगर लखनऊ को सी0बी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

(2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषद की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 मा0शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वत: समाप्त हो जायेंगे ।

15: संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

16: कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा की जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

17: राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

18: विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

19: उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर निम्नांकित प्रतिबन्धों की पूर्ति कर शासन एवं शिक्षा निदेशक (मा0) को तदनुसार सूचित किया जाय:-

1- सोसाइटी के बाईलाज में शासनादेश दि0 30-11-91 में अंकित प्रतिबन्धों का समावेश किया जाय,
2- विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों/कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाय एवं
3- विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों/कर्मचारियों को बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान किये जाने के संबंध में बैंक एकाउण्ट की प्रति उपलब्ध करायी जाय।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की त्रुटि या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(राम कुमार)
विशेष सचिव ।

पृ0सं0-रा0मा0(3)11/15-7-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ ।
4- निदेशक, अंकुर भारतीय विद्यालय सोसा0, लखनऊ ।
5- प्रबंधक, [illegible] विनय खण्ड-3 गोमतीनगर ।
6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(अखिलेश चन्द्र गुप्ता)
उप सचिव ।